



College Code 290

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

ABES Institute of Technology,,Ghaziabad

CAMPUS-2, 19TH KM. STONE, NATIONAL HIGHWAY-24, VIJAY NAGAR,

विषय: शैक्षिक सत्र 2016-17 की अस्थायी सम्बद्धता (Provisional Affiliation) के सम्बन्ध में।
महोदय,

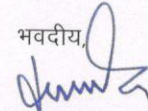
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के आधार पर विश्वविद्यालय/उ0प्र0 शासन की सम्बद्धता समिति द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में सन्दर्भ संख्या 2354(III)/सोलह-1-2016-13(5)/2015 दिनांक 03.06.2016 में निर्गत शासनादेश के अपेक्षानुसार, विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन मा0 कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थान को निम्नानुसार पाठ्यक्रम :-

Course Name	Branch Name	Shift	Affiliation Intake Applied for	Intake Kept in abeyance	Affiliation Intake Approved
B.TECH.	CIVIL ENGG.	Shift I	120	0	120
B.TECH.	COMPUTER SC. & ENGG.	Shift I	180	0	180
B.TECH.	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGG.	Shift I	60	0	60
B.TECH.	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG.	Shift I	120	0	120
B.TECH.	INFORMATION TECHNOLOGY	Shift I	60	0	60
B.TECH.	MECHANICAL ENGG.	Shift I	180	0	180

उपरोक्तानुसार वर्णित प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित भूमि, भवन, अवस्थापना सुविधाएं पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित पठन-पाठन/पाठ्यचर्या, प्रयोगशाला हेतु निर्धारित उपकरण, फ़ैकल्टी अनुपात, रैगिंग निरोधक तथा विश्वविद्यालय के निरीक्षक मण्डल द्वारा संस्था के निरीक्षण में दर्शायी गई कमियाँ/मानकों को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- निरीक्षण मण्डल द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ-साथ संस्था के लेखा का आडिट भी विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी समय किया जायेगा।
- बी.फार्म/एम.फार्म./बी.आर्क./एम.आर्क. पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों को फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर के द्वारा पाठ्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित मानक एवं संबंधित काउंसिल का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित मानक पूर्ण न करने की दशा में एवं अभातिप, पी.सी.आई., सी.ओ.ए. के द्वारा अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश लेने की दशा में विश्वविद्यालय के द्वारा संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।
- संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन/डा0ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0 द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क नियमन समिति द्वारा नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी। शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना संस्था समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता समाप्त करने अथवा प्रवेश क्षमता कम करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा आनलाइन आवेदन के समय भरी गयी सूचनाओं/विवरण तथा सम्बद्धता संबंधी शुल्क न जमा करने तथा सीटों की संख्या में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
- विश्वविद्यालय में प्रवर्तित उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रथम विनियम 2010 के अध्याय-6 (सम्बद्धता) में उल्लिखित प्राविधानों का पालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था 01 अगस्त, 2016 के पूर्व नियामक संस्थाओं द्वारा उसे अनुमन्य प्रवेश क्षमता के सापेक्ष नियामक संस्था के मानकों के अनुरूप अपेक्षित संख्या में, निर्धारित अर्हता धारक शिक्षक एवं निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति पूर्ण कर लेगा। साथ ही, इन शिक्षकों की सूची तथा चयन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया जायगा एवं इस आशय का नोटराईज्ड शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नियमानुसार अपेक्षित

- संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली गई है। विश्वविद्यालय द्वारा इनके स्वतंत्र सत्यापन में कोई त्रुटि, कूटरचना/विसंगति पायी जाती है तो संस्थान को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयः संस्थान का होगा।
8. सत्र प्रारम्भ होने के उपरान्त यदि संस्था के निदेशक/प्राचार्य का पद रिक्त होता है तो पद रिक्त होने की तिथि से तीन-माह के अन्दर रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर नियुक्ति कर ली जाय जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को अवश्य प्रेषित काराये। (अध्याय:6.15)
9. सत्र प्रारम्भ होने के पश्चात् संस्था में कार्यरत शिक्षकों द्वारा संस्था छोड़ने की स्थिति में 15 दिन (कार्य दिवस) के अन्दर विश्वविद्यालय को अवश्य सूचित करें। (अध्याय:6.18)
10. शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ के वेतन का आहरण नियमित रूप से किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। (अध्याय:6.25बी.)
11. लैब एवं उसके उपकरणों की सम्पूर्ण विवरण संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी अवश्य उपलब्ध कराये। (अध्याय:6.13)
12. संस्था की समस्त सूचनाएं संस्था के सूचना पट, वेबसाइट पर प्रदर्शित होने चाहिए एवं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (अध्याय:6.16)
13. संस्था द्वारा छात्रों से लिये गये शुल्क की सूचना संस्था द्वारा अपनी वेबसाइट पर तथा संस्था के सूचना पट पर अवश्य चरपा की जायेगी। इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
14. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मान्यता समाप्त होने या निरस्त किये जाने या प्रत्याहित करने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
15. फार्मसी तथा आर्किटेक्चर के समस्त विधा के समस्त पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था-फार्मसी काउंसिल आफ इण्डिया/आर्किटेक्चर काउंसिल आफ इण्डिया (यथा लागू) का सत्र 2016-17 हेतु मान्यता का आदेश प्रवेश हेतु आहूत की जाने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा की काउंसिलिंग के पूर्व विश्वविद्यालय को अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। अपेक्षित मान्यता आदेश अप्राप्त रहने की दशा में संस्थाओं को प्रदत्त अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा संस्थान सत्र 2016-17 में किसी भी नये छात्र को पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश नहीं दे सकेगा। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान का होगा।
16. संस्था का शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत किसी भी समय औचक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकता है और उक्त औचक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कमियों के दृष्टिगत सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।
17. जिन संस्थओं की अभातिशप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थओं की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।
18. संस्था द्वारा प्रवेश में उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों/अनु० जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश मानकों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार ही शुल्क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का शुल्क न लिया जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
19. विभिन्न संवर्गों के छात्रों हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनदेशों/आदेशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा यदि संस्था द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्थिति में उनकी सम्बद्धता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
20. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि संस्था में नवप्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से शुल्क वही लिये जाए जो समय-समय पर फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित की गई हों। अन्य किसी प्रकार का शुल्क/डोनेशन लेने की शिकायत पर विश्वविद्यालय द्वारा संस्था की सम्बद्धता समाप्त करने एवं संस्था को Black List करने की कार्यवाही की जायेगी।
21. AMS (Academic Monitoring system) संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/2014/ 4414-21 दिनांक 11.07.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराने की बाध्यता होगी।
22. विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक एवं परीक्षा संबंधी कार्यों हेतु शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को दिये गये दायित्वों का पालन संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। संस्था का यह दायित्व होगा कि वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त दायित्वों के अनुसार शिक्षक अथवा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय कारणोंवश यदि ऐसा सम्भव न हो तो संस्था द्वारा विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अवश्य होगा।
23. नियामक संस्थाओं द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के सापेक्ष अत्याधिक न्यून प्रवेश के सन्दर्भ में जिन संस्थाओं का गत वर्ष पंजीकरण 60 प्रतिशत से न्यून था उनकी स्वीकृत प्रवेश क्षमता का एक निश्चित प्रतिशत का सम्बद्धन सत्र 2016-17 हेतु स्थगित रखा गया है। आगामी सत्र 2017-18 हेतु सम्बद्धता जारी करने के पूर्व इन्हें पूर्णजीवित करने या संशोधित करने पर विश्वविद्यालय द्वारा समीक्षा की जायेगी।
- उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के औचक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियां पायी जाने की स्थिति में संस्था की अस्थायी सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं संस्थान/प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय,

 (के०के० चौधरी)
 कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मा० कुलाधिपति/श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
4. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।